संख्या-89/2026/1106/22-2-2024-17(806)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री जीवन लाल, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-20261/प्रो-7/05/सीमित/एम-28.06.2024, दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री जीवन लाल (दिनांक 14.06.2024 तक बंदी की आयु 46 वर्ष 06 माह 21 दिन), जुलैदी, थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी राकेश के अनुसार घटना दिनांक 31.08.2017 को उसका पुत्र उम्र करीब 06 वर्ष बाहर बच्चों के साथ खेलते-खेलते गायब हो गया। दिनांक 01.09.2017 को बदहबास अवस्था में घर के पास पड़ा मिला और पूरे दिन सोते रहा और शाम को जब उठा तो उसने अपने मल द्वार पर दर्द बताया, पूछने पर बताया कि परिक्रमा मार्ग पर बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी उसे मुह दबाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया, उस आदमी की पीड़ित द्वारा पहचान करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र जीवन लाल बताया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या- 2680/2017 में भा0द0वि0 की धारा-377 के अन्तर्गत में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, मथुरा के आदेश दिनांक 24.11.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह 26 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 11 माह 20 दिन की मात्र भोगी गयी सजा। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कारित करेगा तथा समाज में भय व आक्रोश व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी राकेश के अनुसार घटना दिनांक 31.08.2017 को उसका पुत्र उम्र करीब 06 वर्ष बाहर बच्चों के साथ खेलते-खेलते गायब हो गया। दिनांक 01.09.2017 को बदहबास अवस्था में घर के पास पड़ा मिला और पूरे दिन सोते रहा और शाम को जब उठा तो उसने अपने मल द्वार पर दर्द बताया, पूछने पर बताया कि परिक्रमा मार्ग पर बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी उसे मुह दबाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया, उस आदमी की पीड़ित द्वारा पहचान करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र श्री जीवन लाल बताया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध में लिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने तथा समाज में भय व आकोश व्याप्त होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू पुत्र श्री जीवन लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू (बंदी संख्या-18762) पुत्र श्री जीवन लाल, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-89/2026/1106(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-89/2026/1106/22-2-2024-17(806)/2025

दिनांक 27 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू पुत्र श्री जीवन लाल (दिनांक 14.06.2024 तक बंदी की आयु 46 वर्ष 06 माह 21 दिन), जुलैदी, थाना-गोवर्धन, जनपद-मथुरा का निवासी है। वादी राकेश के अनुसार घटना दिनांक 31.08.2017 को उसका पुत्र उम्र करीब 06 वर्ष बाहर बच्चों के साथ खेलते-खेलते गायब हो गया। दिनांक 01.09.2017 को बदहबास अवस्था में घर के पास पड़ा मिला और पूरे दिन सोते रहा और शाम को जब उठा तो उसने अपने मल द्वार पर दर्द बताया, पूछने पर बताया कि परिक्रमा मार्ग पर बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी उसे मुह दबाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया, उस आदमी की पीड़ित द्वारा पहचान करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र जीवन लाल बताया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या- 2680/2017 में भा0द0वि0 की धारा-377 के अन्तर्गत में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-2, मथुरा के आदेश दिनांक 24.11.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2024 तक अपरिहार 06 वर्ष, 10 माह 26 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 11 माह 20 दिन की मात्र भोगी गयी सजा। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कारित करेगा तथा समाज में भय व आक्रोश व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी राकेश के अनुसार घटना दिनांक 31.08.2017 को उसका पुत्र उम्र करीब 06 वर्ष बाहर बच्चों के साथ खेलते-खेलते गायब हो गया। दिनांक 01.09.2017 को बदहबास अवस्था में घर के पास पड़ा मिला और पूरे दिन सोते रहा और शाम को जब उठा तो उसने अपने मल द्वार पर दर्द बताया, पूछने पर बताया कि परिक्रमा मार्ग पर बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी उसे मुह दबाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया, उस आदमी की पीड़ित द्वारा पहचान करने पर उसने अपना नाम राजू पुत्र श्री जीवन लाल बताया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध में लिप्त होने की पूर्ण सम्भावना होने तथा समाज में भय व आकोश व्याप्त होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजू पुत्र श्री जीवन लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in